

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 08/2019

1. असलम पुत्र असगर, जाति लुहार निवासी महनसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. जाकिर पुत्र असगर जाति लुहार निवासी महनसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. खालिद पुत्र असगर जाति लुहार निवासी महनसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. रफीक पुत्र असगर जाति लुहार निवासी महनसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. तोफिक पुत्र असगर जाति लुहार निवासी महनसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. इस्माईल पुत्र यूनस जाति लुहार निवासी महनसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.01.2019 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
मुकदमा उनवानी मुकदमा सरकार बनाम असलम वगैरह
मु0न0 145/2018 अं0धारा 91 एल0 आर0 एक्ट 1956

उपस्थिति:-

1. श्री नेकीराम बुडानिया , एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 24.07.2019

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.01.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम असलम वगैरह मु0 नं0 145/2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—अदालत मातहत ने महज क्यास के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर ठिकाने के समय से ही पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही अपीलांट व उसके गवाहन का बयान न्यायालय में दर्ज किये गये, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अपीलांट को पटवारी हल्का से भी जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में किसी तरह की जांच नहीं की गई। अपीलांट ने चारागाह या नदी जोहड़ तालाब किसी तरह की भूति पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बिना तथ्यों की जांच किये आलौच्य आदेश पारित किया है जो खिलाफ

५१
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

कानून एवं तथ्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम महनसर की भूमि खसरा नंबर 1062 रकबा 6.57 हैक्टर भूमि में से 0.01288 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी पुख्ता मकान बनाकर अपने परिवार के साथ काफी वर्षों से निवास कर रहा है। प्रार्थी एवं उसके परिवार के पास अन्य कोई भूमि नहीं होने से उक्त भूमि का ग्राम पंचायत महनसर द्वारा जारी पट्टा है। बिजली पानी के कनेक्शन है। उक्त पट्टे को निरस्त किये बिना व वादग्रस्त भूमि पर काफी वर्षों से अपीलांत परिवार सहित आबाद है। इन तथ्यों पर गौर किये बिना मात्र हल्का पटवारी की अतिक्रमी रिपोर्ट के आधार पर बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रार्थी अपीलांत द्वारा उक्त पट्टे शुदा जमीन पर आबाद होना माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी भी न्यायिक निर्णय के अन्तर्गत किसी भी चारागाह भूमि पर कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है जो माननीय न्यायालय के निर्णय के तहत प्रतिबंधित नहीं हैं। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाउ का निर्णय दिनांक 17.1.2019 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांत ने चारागाह या नदी जोहड़ तालाब किसी तरह की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बिना तथ्यों की जांच किये आलौच्य आदेश पारित किया है। ग्राम महनसर की भूमि खसरा नंबर 1062 रकबा 6.57 हैक्टर में से रकबा 0.01288 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी पुख्ता मकान बनाकर अपने परिवार के साथ काफी वर्षों से निवास कर रहा है। प्रार्थी एवं उसके परिवार के पास अन्य कोई भूमि नहीं होने से उक्त भूमि का ग्राम पंचायत महनसर द्वारा जारी पट्टा है। बिजली पानी के कनेक्शन है। उक्त पट्टे को निरस्त किये बिना व वादग्रस्त भूमि पर काफी वर्षों से अपीलांत परिवार सहित आबाद है। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना मात्र हल्का पटवारी की अतिक्रमी रिपोर्ट के आधार पर बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रार्थी अपीलांत द्वारा उक्त पट्टे शुदा जमीन पर आबाद होना माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी भी न्यायिक निर्णय के अन्तर्गत किसी भी चारागाह भूमि पर कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है जो माननीय न्यायालय के निर्णय के तहत प्रतिबंधित नहीं हैं। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाउ का निर्णय दिनांक 17.1.2019 खारिज किया जावे।


५९
अति. जिला कलक्टर
मुन्डानू

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा खसरा नंबर 1062 रकबा 6.57 हैक्टर में से रकबा 0.01288 हैक्टर में पक्के मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।


मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामील हुई है और अपीलांट ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गै0 मु0 चारागाह जो पुराने कब्जे के आधार पर भी नियमन योग्य नहीं है। जहां तक ग्राम पंचायत महनसर द्वारा जारी पट्टे का संबंध है, ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों पर पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 उनवानी सरकार बनाम असलम वगैरह मु0नं0 145/2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।




(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जहानपुर

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जहानपुर